

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 26/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि....(अ)-केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.14/2006-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि.86(अ), तारीख 01 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 41 और 42 के सामने, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः "5407 42" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा.सं.334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.14/2006-सीमाशुल्क, तारीख 01 मार्च, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 86(अ), तारीख 01 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 81/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं. 1340(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई।